छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित,

छठवी मंजिल टॉवर ''सी'' कमर्शियल कॉम्पलेक्स, सी.बी.डी.

सेक्टर – 21, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर 492002

Website:- markfed.cg.nic.in, E-Mail :- mf_ctrlroom_raipur@gov.in, phone no. 0771-2425420

क्रमांक / लेखा / वित्त / 114 / 2024–25 / 1497 / 2024 अटल नगर रायपुर, दिनांक 20/06/24

निविदा आमंत्रण

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर खरीफ वर्ष 2024–25 के लिये बारदाना क्रय करने हेतु वित्तीय व्यवस्था करने भारतीय रिजर्व बैंक की सूची 'A' एवं 'B' में अनुबद्ध बैंकों / वित्तीय संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित करता है। विस्तृत विवरण www.markfed.cg.nic.in में देखा जा सकता है –

1. प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 01/07/2024 समय 12:00 बजे
2. प्रस्ताव खोले जाने की तिथि 01/07/2024 समय 3:00 बजे

20/06/2024

(रमेश कुमार शर्मा)

प्रबंध संचालक

निविदा प्रपत्र

छत्तीसगढ़ के कृषकों द्वारा उत्पादित समर्थन मूल्य पर धान के उपार्जन हेतु खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 के लिए नये बारदानों के क्रय हेतु कार्यशील पूंजी ऋण लगभग ऋण राशि ₹ 1450.00 करोड़ की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित शेड्यूल्ड कामर्शियल बैंकों की सूची 'A' एवं 'B' तथा वित्तीय संस्थाओं से न्यूनतम राशि ₹ 500.00 करोड़ की साख–सीमा/अल्पकालीन ऋण (बिना शासकीय प्रत्याभूति पर) सुविधा के प्रस्ताव को निम्नानुसार शर्तों के अंतर्गत आमंत्रित किया जाता है :–

1. छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ हेतु न्यूनतम प्रस्ताव राशि ₹ 500.00 करोड़ (अक्षरी– पाच सौ करोड़ मात्र) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावें। उपरोक्तानुसार स्वीकृत राशि में से जून, 2024 से नवम्बर, 2024 तक आवश्यकतानुसार किश्तो में राशि आहरित की जावेगी।

2. प्रस्तावित की जाने वाले साख–सीमा/अल्पकालीन ऋण की राशि पूर्व वर्षो के लिए स्वीकृत किये गये राशि के अतिरिक्त होगी।

3. साख–सीमा/अल्पकालीन की ऋण की सिक्योरिटी विपणन संघ हेतु उपार्जित धान/सी.एम.आर. चावल का स्टाक हेतु सी.एम.आर. चावल, लेव्ही चावल का स्टॉक तथा बिल्स रिसीवेबल का हाइपोथिकेशन से किया जा सकेगा।

4. साख–सीमा सुविधा तथा इसके विरूद्व सिक्योरिटी हेतु मार्जिन राशि शून्य रहेगी।

5. प्रोसेसिंग एवं दस्तावेज शुल्क शून्य रहेगी। विपणन संघ द्वारा खरीफ वर्ष 2024–25 के लिए समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन हेतु बारदाना क्रय के लिए माह जून, 2024 से माह नवम्बर, 2024 तक किया जाना है। अनुमानित अल्पकालीन/साख–सीमा का राशि ₹ 1450.00 करोड़ होगी, जिसको मासिक आवश्यकता के आधार पर आहरित किया जावेगा।

6. स्वीकृत साख–सीमा/अल्पकालीन ऋण पर दण्ड ब्याज अधिकतम 2% मान्य किया जावेगा। राज्य शासन द्वारा घोषित अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस पर भुगतान करने की स्थिति में कोई दण्ड ब्याज मान्य नहीं किया जावेगा।

7. ब्याज दर फ्लोटिंग दर/एम.सी.एल.आर. दर (न्यूनतम 01 माह के एम.सी.एल.आर दर) के लिए ही प्रस्तुत की जावे।

8. निविदाकर्ता बैंक की शाखा, रायपुर, छत्तीसगढ़ में होना अनिवार्य है।

9. साख–सीमा सुविधा स्वीकृति दिनांक से कम से कम छः माह की अवधि हेतु उपलब्ध करायी जावे। विपणन संघ द्वारा राशि की उपलब्धता के आधार पर समय पूर्व भुगतान अथवा भुगतान हेतु निर्धारित समयावधि में वृद्धि, जैसी भी स्थिति हो, उपयोग किया जावेगा।

10. प्रस्ताव स्वीकृति दिनांक से अधिकतम 07 दिवस की सीमा में साख–सीमा सुविधा आहरण हेतु उपलब्ध कराना होगा।

11. साख–सीमा सुविधा के विरूद्व वास्तविक आहरण की तिथि से ही ब्याज देय होगा।

क्रमशः....2

12. ऋण पुनर्भुगतान हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व भी भुगतान किया जा सकेगा तथा समयावधि के पूर्व भुगतान करने पर विपणन संघ द्वारा कोई दण्डित ब्याज देय नहीं होगा एवं भुगतान करने की तिथि तक ही वास्तविक ब्याज की राशि भुगतान की जा सकेगी। संघ पर किसी भी समय में बैंकों द्वारा स्वीकृत साख–सीमा का पूर्ण उपयोग किया जाना बाध्यकारी नहीं होंगा।

13. जिन बैंकों के ऑफर स्वीकृत किये जायेंगे, उन्हें अनुबंध पत्र में उल्लेखित शर्तों को सम्मिलित कर तैयार किये गए अनुबंध पत्र में अनुबंध का निष्पादन 05 दिवस के भीतर करना होगा ।

14. विपणन संघ का वित्तीय वर्ष 2022–23 तक उपलब्ध अंकेक्षित वित्तीय पत्रक के आधार पर ही साख–सीमा/टर्म लोन ऋण उपलब्ध कराना होगा।

15. यदि सफल ऑफरकर्ताओं से संपूर्ण राशि की व्यवस्था नहीं हो पाती है और न्यूनतम से अधिक ब्याज दर ऑफर करने वाले अगले बैंकों से साख/ऋण लेने की जरूरत पड़ती है, तो ऐसी दशा में अगले बैंको से न्यूनतम ब्याज दर के समान अथवा उसके निकट दर पर ही साख/ऋण देने की सहमति दिये जाने हेतु निगोशियेशन बैठक में प्रस्ताव रखा जावेगा।

16. बैंको/वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्राप्त ब्याज दर के आधार पर एवं आवश्यकतानुसार निगोशियेशन के पश्चात् प्रस्ताव पर निर्णय लिया जावेगा। प्राप्त प्रस्ताव को मान्य/अमान्य करने का अधिकार राज्य स्तरीय समिति के पास सुरक्षित रहेगा ।

6/06/2024

(रमेश कुमार शर्मा)
प्रबंध संचालक